

घनी आबादी में बारूद का कारोबार 520 किलो अवैध पटाखे बरामद

गोविंदबाग व टेढ़ी बाजार में पुलिस ने की छापेमारी, बिक्री का लाइसेंस तक नहीं मिला

कार्रवाई

बलरामपुर, संवाददाता। त्योहारी सीजन से पहले घनी आबादी के बीच अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया है। कोतवाली नगर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर दो दुकानों-मकानों से करीब 520 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं। पटाखे कुल 20 बोरियों में रखे मिले। दोनों मामलों में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में दोनों के पास पटाखों के भंडारण और बिक्री का लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम व बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बरामद पटाखों को आबादी से दूर सुरक्षित स्थान पर रखवाकर नियमानुसार निष्क्रिय कराने के लिए बीडीएस टीम को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने बुधवार को बताया कि दोनों स्थान घनी आबादी वाले इलाके में हैं। ऐसे में



बलरामपुर के नगर कोतवाली में बुधवार को जब पटाखों के साथ गिरफ्तार आरोपी।

गोविंदबाग में 400 किलो पटाखे मिले

पहली कार्रवाई गोविंदबाग मोहल्ले में हुई। उपनिरीक्षक आनंद कुमार टीम के साथ गश्त और चेकिंग कर रहे थे। सूचना पर पुलिस ने गोविंदबाग निवासी मो. रईस की दुकान पर छापा मारा। तलाशी में 14 बोरियों में करीब 400 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए। इनमें बम, माचिस बम, पलावर पॉट, रॉकेट, स्पाकलर्स और ग्राउंड चक्कर शामिल थे। लाइसेंस मांगने पर आरोपी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने उसे रात 10-56 बजे गिरफ्तार कर लिया।



बड़ी मात्रा में ज्वलनशील और विस्फोटक प्रकृति की सामग्री का बिना अनुमति भंडारण किए जाने से हादसे

का खतरा था। पुलिस ने बरामद पटाखों को संबंधित बोरियों में रखकर सील किया। थाना परिसर में आबादी से

20 बोरियों में करीब 520 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं

टेढ़ी बाजार में 120 किलो पटाखे हुए बरामद

दूसरी कार्रवाई नगर कोतवाली क्षेत्र के चूड़ी मार्केट, टेढ़ी बाजार में हुई। एक सितंबर की रात उपनिरीक्षक रमन वर्मा टीम के साथ जाव कर रहे थे। पुलिस ने दुकान-मकान में छापा मारा, जहां अवैध पटाखे रखने और बेचने की जानकारी मिली। एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सगीर अहमद उर्फ मुसई बताया। उसकी निशानदेही पर तलाशी में छह बोरियों से 120 किलो पटाखे बरामद हुए। इनमें स्काई शॉट, चटाई पटाखा, अनार, फुलझड़ी और सुतली पटाखे शामिल थे।



अलग सुरक्षित स्थान पर रखवाया है। नियमानुसार इनके निस्तारण के लिए बीडीएस टीम की मदद ली जाएगी।